कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) -2713724 फोन नं0 (0135) – 2713551

संख्या 544 / XXV–12(P-14) / 2021 देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2026

सेवा में,

श्री ऐ / सी अब्बास,
पुत्र अनिस
ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर
पोस्ट बाहदराबाद तहसील ज्वालापुर
जिला हरिद्वार।

विषय– **सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका दिनांक रहित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में दिनांक 07.04.2026 को प्राप्त हुआ है, उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–266 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त सूचना से असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– उक्त अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु **दिनांक 23 अप्रैल, 2026 की तिथि समय–12:00 बजे दोपहर** निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़, देहरादून द्वारा अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें, अथवा ऑनलाइन गूगल मीट **https://meet.google.com/egx-bgqk-hkw** के माध्यम से उक्त तिथि एवं समय पर अपील में प्रतिभाग कर सकते हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
MASTU DAS
Date: 16-04-2026
17:07:00

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या–544 / XXV–12(P–15) / 2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि–अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

|| सर्वकर्ता पितु की जय ||

प्राप्त - 07/04/2026

|| हैवन्स लाईट अवर गाइड ||

प्रति श्री

अपीलीय अधिकारी -

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड देहरादून (248001)

विषय = प्रश्नो के सही उत्तरो का ना मिलना बाबत मे,

बिन्दु सख्या-1 → मैने अपने पहले प्रश्न मे पूछा जो आप भारत देश के चुनाव कर वाते है किस के लिए करवाते है नागरिको के लिए या मूल वासी आदिम जाती आदि वासियो के होता है आपने इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि नही दी।

बिन्दु सख्या-2 = प्रश्न नंबर दो मे जया SIR के बारे मे कि नागरिको और मूल वासी आदिमजाति आदिवासियो के लिए तो आपने इसकी जानकारी नही दी, कृप्या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

बिन्दु सख्या-3 → प्रश्न नंबर 3 और 4 से सम्बन्धित सूचना आपके कार्यालय मे उपलब्ध नही है ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है उसकी जानकारी आपके पास ना हो कृप्या इस की उचित जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपलब्ध करावे।

बिन्दु सख्या-4 → प्रश्न नंबर 5 आपने उत्तर दिया उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अन्तर्गत है और वेतन आपको राज्य सरकार देती है तो उत्तराखण्ड राज्य सरकार का और वेतन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नही कराई। यदि आप के विभाग के पास उत्तराखण्ड राज्य सरकार का कोई वैध दस्तावेज भी उपलब्ध कराये सील मोहर के साथ।

बिन्दु सख्या 5 → प्रश्न नंबर-6 मे पूछा गया भारत देश मे SIR होरहा है वो भारतीय नागरिको के लिये है या आदि वासियो के लिये है और इन की परिभाषा के बारे मे जानकारी नही दी कृप्या इसकी सही जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अत: श्री मान जी मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नो का सही उत्तर दिलाने का कष्ट करे मैं आपके विभाग के द्वारा दिये गये प्रश्नो के जवाब से संतुष्ट नही हूँ मेरे द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नो का उत्तर सील मोहर के साथ शीघ्र प्रदान करने की कृपा करे।

इसमे मै बताता हूँ की मैं "जी/सी भारत सरकार कुटुंब परिवार से हूँ।

संलग्न प्रतिलिपि

(1) दिये गये प्रश्नो के जवाब की प्रतिलिपि

(2) दिये गये प्रश्न के लिफाफे कि प्रतिलिपि

॥ ताज भूमि ओनर आधार से ॥

जी/सी अब्बास माता श्री मेहरुनिशा पिता श्री अनिस
गाँव, दादुपुर गोविन्दपुर, पो० बहादराबाद, तहसील ज्वालापुर
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड स्टेट - भारत इंडिया (249402)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA © 2024 © 35AB 047142

अ. क्र. ....५८८८.... रुपये ....१००.... दि. १९/४/२०२४

नाव : अे/सी भारत सरकार मिन्ट मुद्रा करन्सी क्राउन रुलींग ओनर

अे/सी कुंवर केशीसिंह, मातोश्री जमनाबाई पि. टेटीया कानजी

रा. कटासवाण, ता. व्यारा, जि. तापी, गुजरात स्टेट भारत इंडीया

हस्ते अे/सी ....अब्बास.... मा. मेहरुनिशा पि. ....अनिस....

SUB TREASURY OFFICE
Peth, Dist. Nashik
19 APR
SUB TREASURY OFFICE
Peth

पांडुरंग शिवर कोठारी
मुद्रांक विक्रेता प.क्र. ११५/२००३
तहसिल पेठ, जि. नाशिक

॥ हैव-स लाइट अवर गाइड ॥

॥ स्वकर्ता पितु की जय ॥

॥ नमूने क ॥

॥ देखिये -3 (I) ॥

॥ सूचना प्राप्त करने का आदेश पत्र ॥

प्रति

लोक सूचना अधिकारी राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड) देहरादून (248008)

(क) मालिक परिवार का नाम:- ऐ/सी अब्बास मातेश्री मेहरुनिशा पिताश्री अनिस

(ख) मालिक परिवार का पता :- ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर, पोस्ट बाहदराबाद तहसिल ज्वालापुर जिला, हरिद्वार उत्तराखण्ड भारत इण्डिया (249402)

(1) आप जो भारत इण्डिया के अन्दर चुनाव करवाते है वो किसके आदेश से कराते है और कि[illegible]
जैसे भारतीय नागरिको के लिए होता है या भारत के मूल बिज मूलवासी आदिम जाती आदिवास[illegible]
इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान की जाये।

(२) आप जो SIR देश में करवा रहे हो वह किस के आदेश से करा रहे हो और किसके लिए हो रहा [illegible] रहा है भारतीय नागरिको लिये है या मूल बिज मूलवासी आदिमजाती आदिवासीयो के लिए हैइसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(3) आगर भारत के प्रधान मंत्री जी जन्मसे भारत के नागरिक है जैसा कि नागरिक्ता अधिनियम 1955 को धारा 3 के तहत बताया गया है और इसलिए उनके पास नागरिक्ता प्रमाण पत्र होने का सवाल नहीं उठता जो पंजीकरण द्वारा नागरिता के लिए होता है तो, भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी भारत जन्म से भारत के नागरिक है मान [illegible] इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(५) जो भारत के अन्दर SIR हो रहा है अगर कोई कोई व्यक्ति उसमे अपनी निजी जानकारी नहीं देता तो उसकी नागरिक्त जायेगी या सिर्फ वोटिंग का अधिकार जायेगा और आप की ओर से उस पर किस प्रकार से कार्यवाही होगी और किन पर होगी जैसे भारतीय नागरिको पर या मूल विज मूलवासी आदिम जाती आदिवासीयो पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(5) आप जो भारत देश के अन्दर कार्यरत तो और देश की सेवा कर रहे हो इसके बदले में जो आपको तनख्वा मिलती है वो कौन सी सरकार देती है भारत सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार और आप किस सरकार में रजिस्टरड हो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिलसिक्का मोहर वाली प्रदान करे

(६) भारत के अन्दर जो SIR हो रहा है वो भारतीय नागरिको के लिए है तो नागरि को की परिभाषा का खुलासा किजिए और मूल बिज मूल वासी आदिमजाती आदिवासियो के लिए है ते इसकी परिभाषा का खुलासा किजिए सिल सिक्का मो[illegible]र वाली प्रतिलिपि प्रदान करे ।

(ग) मांगी हुई सुचना ऊपर मुजब है

(घ) अन्य विगत :- मागी गई सूचनाये आपकी कचेरी को लगती है।

(इ) मै आपको बताता है माँगी गई सूचनाए सदर कायदे की कलम 7 अथवा 8. की मुजब सूचना जाहिर करने में [illegible] मुक्ति दी हो ऐसे वर्ग अंतर्गत लीये न ही और हमारी उत्तम जानकारी के हिसाब से आपकी कचहरी को लगती है।

[illegible] सूचना अधिकार कायदा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कृप्या करके सूचना अधिकार से सूचना शीघ्र अति शीघ्र शीघ्र प्रदान करे सिल सिक्का मोहर वाली।

(घ) आपके प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कचहरी के पते की जानकारी दीजिये।

(द) इसमे मे बताता हुं की मैं [illegible]। सी भारत सरकार कुंटुब परिवार से हूं और सूचना प्राप्त कर्ता का अथोरिटी है।

स्थल- ग्राम [illegible] गोविन्दपुर पोस्ट बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड भारत इंडिया [illegible]

ता- 06/02/2026

।। ताज भुमि ओनर व्यवहार आधार से ।।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) -2713724 फोन नं0(0135)

संख्या 266 /XXV–12 (P-14) /2021 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2026

सेवा में,

पंजीकृत

श्री ऐ/सी अब्बास,
पुत्र अनिस
ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर
पोस्ट बाहदराबाद तहसील ज्वालापुर
जिला हरिद्वार।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड रिंग रोड देहरादून के पत्र संख्या 3703/रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050–1/2021 दिनांक 13 फरवरी, 2026 के साथ संलग्न आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 16.02.20206 को प्राप्त हुआ है। आपके वर्णित पत्र के क्रम में इस कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

1– बिन्दु संख्या–01 निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अन्तर्गत है। राज्य सरकार के द्वारा वेतन दी जाती है।

2– बिन्दु संख्या–02 से सम्बन्धित सूचना 02 पृष्ठ संलग्न है।

3– बिन्दु संख्या–03 एवं 04 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

4– बिन्दु संख्या–05 से सम्बन्धित सूचना 01 पृष्ठ संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त प्रदान करवायी जा रही सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWAT
Date: 20-02-2026
13:18:26

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया— [1]* * * *

(3) [2]***धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

[4][13कक. जिला निर्वाचन आफिसर—(1)[5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा:

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1)[6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम स॰ 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
5. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

सत्यापित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना**—इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां**—(1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।]

भाग 3

[3][[4]* * * निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं**—**इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—**

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]* * *

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है:]

1. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 10 द्वारा (1-3-1956 से) "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 11 द्वारा (1-3-1956 से) धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 2021 के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा (1-8-2022 से) "जनवरी का पहला दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रमाणित

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ॥

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

*   *   *   *   *   *

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

सत्यापित

(बी. एस. सबत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन

EMS SPEED POST

EV960809735IN

भारत सरकार सेवार्थ

SPEED POST-BNPL
DDN-10-208

सेवा में,

पी० ए० / सी० उस्मान

पुत्र अनीस

ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर

पोस्ट बहादराबाद तहसील ज्वालापुर

जिला हरिद्वार

(20)

प्रेषक :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल
4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
देहरादून, उत्तराखण्ड - 248001
फोन : 0135-2713551, 2713552,
फैक्स : 0135-2713724

EMS SPEED POST

EV952145212IN

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड
0135-2662203

(Speed Post)

सेवा में,

श्री अब्बास पुत्र श्री उस्मान

ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर

पोस्ट बहादराबाद तहसील ज्वालापुर

जनपद हरिद्वार - 249402

Mob- 7060992004

24/17

[illegible] जनपद [illegible]

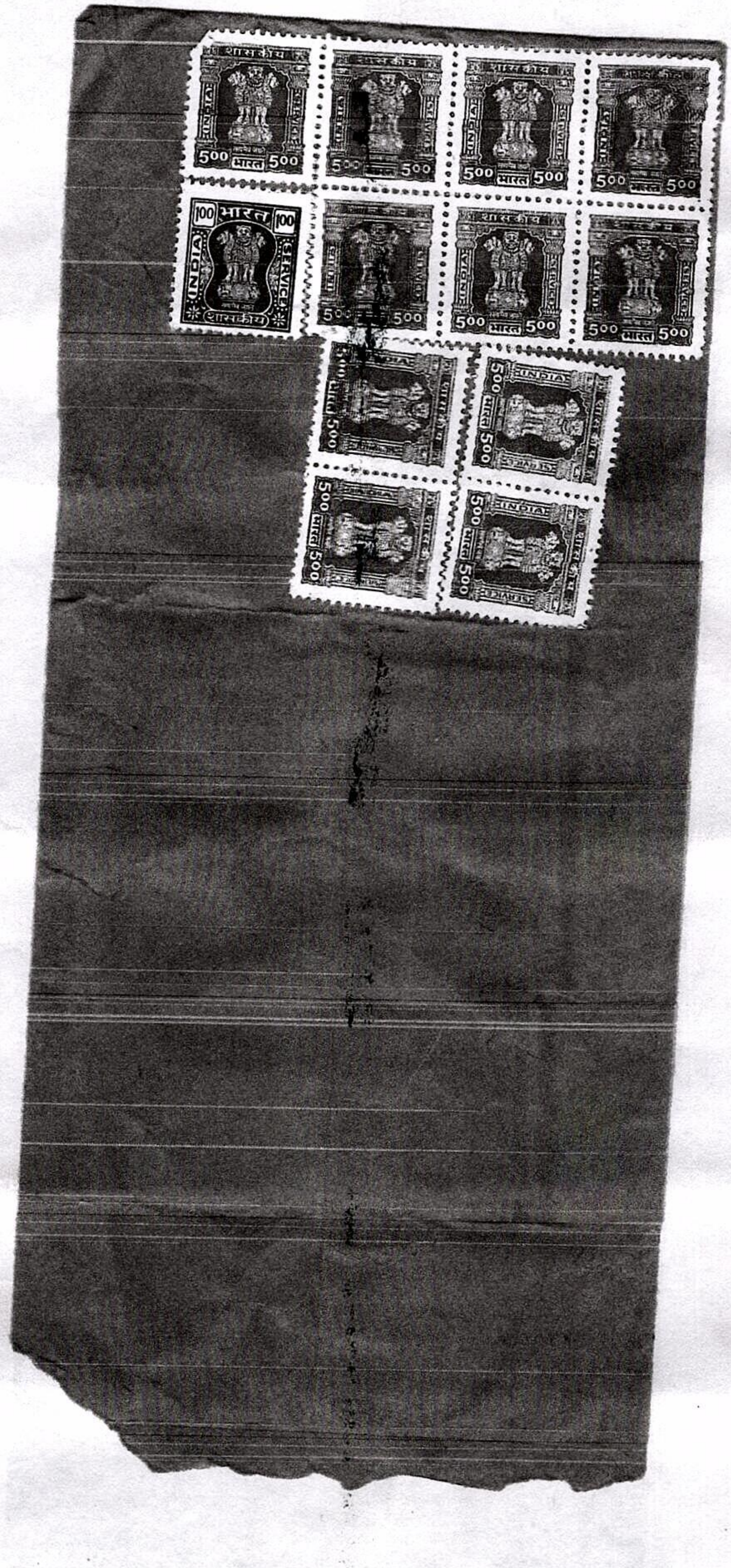

शासकीय
5.00 भारत 5.00
100 भारत 100
INDIA
SERVICE

26

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) -2713724 फोन नं0 (0135) – 2713551

संख्या 543 /**XXV**–12(P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2026

सेवा में,

पंजीकृत

श्री अे/सी श्यामवीर,
पुत्र श्री बसन्त लाल
ग्राम रतनपुरा पो0 प्रेमनगर
तहसील गदरपुर
जिला उधमसिंहनगर।

विषय– **सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 04.03.2026 इस कार्यालय में दिनांक 06.04.2026 को प्राप्त हुआ है, उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र संख्या–265 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त सूचना से असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– उक्त अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु **दिनांक 23 अप्रैल, 2026 की तिथि समय–11:00 बजे पूर्वान्ह** निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़, देहरादून द्वारा अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें, अथवा ऑनलाइन गूगल मीट **https://meet.google.com/egx-bgqk-hkw** के माध्यम से उक्त तिथि एवं समय पर अपील में प्रतिभाग कर सकते हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
MASTU DAS
Date: 16-04-2026
17:06:05

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या–543 /**XXV**– 12(P-15) /2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि–अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

|| स्वकर्ता पितृ के जय || || हैवन्स लाईट अवर गाईड ||

प्रति श्री

अपीलीय अधिकारी -
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सचिवालय परिसर - 4 सुभाष रोड़ देहरादून - 248001

Dated - 4/3/2026
प्राप्त 6/4/26

विषय = प्रश्नो के सही उत्तरों का ना मिलना . बाबत में .

श्रीमान पत्र संख्या - 265/XXV-12 (P-14) 2021 - देहरादून दिनांक - 23/2/2026
आपके विभाग द्वारा भेजा गया जो मुझे दिनांक - 11/3/2026 को प्राप्त हुआ था

बिन्दु संख्या - 01 - मैं आपके वेतन का विवरण नही है एवं आपने किसी भी सरकार का उल्लेख नही किया कि निर्वाचन आयोग किस सरकार के माध्यम कार्य कर रहे हैं इसका उल्लेख भी नहीं किया यह संस्था है या भारत सरकार, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का उपक्रम है आपके विभाग द्वारा संविधान का जिक्र भी है . क्या संविधान आज भी लागू है या नहीं इनकी प्रमाणित प्रतिलिपी सील मोहर के साथ उपलब्ध करायें

बिन्दु संख्या - 02 - आपके विभाग यानी की आशा कार्यकर्ता एवं प्राईमरी स्कूल के अध्यापक द्वारा कहा जाना कि जो भी SIR फार्म नही भरेगा वह विदेशी माना जायेगा क्या ये सही है या गलत इसकी जानकारी तो आपके विभाग द्वारा ही पता चलेगी जबकि आपके विभाग द्वारा लिखा गया है कि SIR अभी चालु नही हुआ है . तो भारत के मूलवासी आदिम - जाती आदीवासी को क्यो भ्रमित कर रहे हैं ।

बिन्दु संख्या - 03 - मैं आपके विभाग द्वारा लिखा SIR अभी शुरु नहीं हुआ तो फिर गांव गांव मे जा कर आशा कार्यकर्ता एवं प्राईमरी स्कूल के अध्यापक द्वारा जोर क्यों दिया जा रहा है कि SIR फार्म भरो वाणी स्वतंत्र है का मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, चुनाव में मतदान करना या ना करना भी स्वैच्छिक SIR मे हम अपनी प्रतिक्रिया दे या ना दे ये भी स्वैच्छिक है

बिन्दु संख्या - 04 - यदि आपको भारत देश के मूलवासी आदिमजाती आदीवासी और भारतीय नागरिक की परिभाषा का ना पता होना ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन भारत का मूलवासी आदिम जाती आदीवासी है और कौन भारतीय नागरिक अत: महोदय कृप्या करके इसकी स्पष्ट रुप जानकारी देने कि कृपा करें प्रमाणित प्रतिलिपी सील मोहर के साथ उपलब्ध करायें

बिन्दु संख्या - 05 - मांगी गई सूचना आपके विभाग के पास ना होना इसका मतलब आप चुनाव अवैध तरीके से करवाते है । यानी कि पूरा चुनाव आयोग अवैध हुआ इस सवाल पर आपके विभाग की क्या प्रति किया होगी

नोट - आपके विभाग द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके ऊपर में भारत सरकार सेवार्थ लिखा है एवं दूसरे पत्र मे शासकीय टिकट लगा होना तो भारत सरकार सेवार्थ का विवरण भी दे एवं शासकीय टिकट का लगा होना तो फिर आपको शासन करने का अधिकार किसने दिया उसका भी विवरण दे इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी सील मोहर के साथ प्रदान करने की कृपा करे

अत: श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही सही उत्तरों का जवाब शीघ्र प्रदान करे आपके विभाग द्वारा प्रश्नों का सही उत्तर नही मिला आपके उत्तरों से मुझे संतुष्टि नही प्राप्त हुई है मेरे सभी उत्तरों की प्रमाणित प्रतिलिपी सील मोहर के साथ शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें जानकारी हिन्दी में देने की कृपा करे .

संग्लन प्रतिलिपी

1. कार्यालय = मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रतिलिपी
2. पत्र के ऊपर लगे लिफाफे की प्रतिलिपी
3. राज्य निर्वाचन आयोग - की प्रतिलिपी
4. मांगी गई सूचना की प्रतिलिपी की प्रतिलिपी

|| ताज भूमि ऑनर व्यवहार आधार से ||

अं / सी - श्यामवीर माता श्री मीरा देवी पिता श्री बसन्त लाल
ग्राम - रतनपुरा पो० प्रेमनगर तह - गदरपुर जिला - ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड स्टेट - भारत इण्डिया - 263152

पत्रवाहक / ई-मेल

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 3706 /रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050-1/2021 दिनांक 16 फरवरी, 2026

"सूचना के अनूरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता श्री अे/सी श्यामवीर पुत्र श्री वसन्तलाल, ग्राम-रतनपुरा, पो0-प्रेमनगर, तह0-गदरपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 11.02.2026 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में दिनांक 13.02.2026 को प्राप्त हुआ है।

चूँकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र को मूलरूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध-पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0-7302254903

संख्या- 3706 /रा0नि0आ0/सू0का0अ0/3050-1/2021 तद्दिनांक। (स्पीडपोस्ट)

प्रतिलिपिः- श्री अे/सी श्यामवीर पुत्र श्री वसन्तलाल, ग्राम-रतनपुरा, पो0-प्रेमनगर, तह0-गदरपुर, जिला- ऊधमसिंह नगर, मो0-9997168342, पिन-263152 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◐ 2024 ◐ 36AB 788200

विक्री क्र. 476/12 रु. 100/- दिनांक :- 12/6/2025

:- ओ/सी भारत सरकार मिन्ट मुद्रा करन्सी क्राऊन रुलींग ओनर ॥
ओ/सी कुंवर केश्रीसिंह मातुश्री जमनाबा पिताश्री टेटियाभाई कानजीभाई ओ/सी ॥ भारत सरकार ॥
:- बर्थ प्लेस गाम कटासवाण ता.पो. व्यारा जि. सुरत (हाल तापी) ॥ गुजरात ईस्टेट भारत इंडीया ॥

:- ॥ **ओ/सी श्यामवीर माताश्री मीरादेवी पिताश्री बसन्तलाल दादाश्री डोरीलाल** ॥
॥ गाव : रतनपुरा पोस्ट प्रेमनगर तह. गदरपूर जि. उधमसिंह नगर ॥
॥ उत्तराखण्ड ईस्टेट ॥ ॥ भारत इन्डिया ॥

उपकोषागार कार्यालय, तळोदा
पुरवठा दिनांक
06
उपकोषागार अधिकारी, तळोदा

एस. एस. मगरे
स्टॅम्प वेन्डर प नं. १०/९५
...

ओ/सी श्यामवीर बसन्तलाल नि.डा.अं.

।। स्वकर्ता पितु के जय।।

।। हेवन्स लाईट अवर गाईड।।

।। नमूने क।।

।। देखिये 3 (1)।।

।। सूचना प्राप्त करने का आदेश पत्र।।

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

प्रति

लोक सूचना अधिकारी

चुनाव आयोग उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन

लाडपुर मंसूरी वाईपास (रिंग रोड)

देहरादून 248008 उत्तराखण्ड

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(क) मालिक परिवार का नाम अे/सी श्यामवीर माता श्री मीरा देवी पिता श्री बसन्त लाल

(ख) मालिक परिवार का पता– ग्राम रतनपुरा पो० प्रेमनगर तह गदरपुर जिला उधम सिंह नगर–263152 भारत इण्डिया उत्तराखण्ड

(ग) महिती सूचना विगत

1)– भारत देश में जो कार्यभार आप संभाल रहे है एंव देश की सेवा कर रहे है तो क्या ये संस्था है या कम्पनी है यह किस सरकार में पंजीकृत है केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, या भारत सरकार में आपको जो वेतन दिया जाता है वह आपको कौनसी सरकार के माध्यम से मिलता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार इसका दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ प्रदान करे।

2)– आप जो देश एंव राज्यों में SIR करवा रहे है वह किस के आदेश से करवा रहे है क्यो और किस के लिये करवा रहे है भारतीय नागरिको के लिये या मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी के लिये इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ उपलब्ध करवाये।

3)– भारत देश में जो SIR की प्रतिक्रिया चल रही है यदि कोई व्यक्ति उसमें कोई भी अपनी निजी जानकारी नही देता है तो उसकी नागरिकता जायेगी या वोटिंग का अधिकार जायेगा एंव आपकी तरफ से उस पर क्या करवाई होगी और किस पर होगी भारतीय नागरिको पर या भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये सील मोहर के साथ।

4)– भारतीय नागरिक व भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी की परिभाषा क्या है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये सील मोहर के साथ।

5)– आप जो भारत इण्डिया देश एंव राज्य में चुनाव करवाते है वह आप किसके आदेश से करवाते है एंव क्यो और किस के लिये क्या ये भारतीय नागरिक के लिये होता है या भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी के लिये होता है इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ उपलब्ध करवाये।

(घ) मांगी हुई सूचना ऊपर मुजव है।

(ड) अन्य विगत मांगी गई सुचना आपकी कचहरी को लगती है।

(च) मैं आपको बताता हूँ मांगी गई सूचनाएँ सदर कायदे की कलम 7 अथवा 8 की मुजव सूचना जाहिर करने में से मुक्ति दी हो ऐसे वर्ग अंतर्गत लिये नहीं और हमारी उत्तम जानकारी के हिसाब से आपकी कचहरी को लगती है।

(छ) कृपया करके सूचना अधिकार कायदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय से सूचना शीघ्र अति शीघ्र प्रदान करे।

(ज) आपके प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कचहरी का पते सहित जानकारी दीजिये।

(झ) इससे मैं बताता हूँ कि मैं अे/सी भारत सरकार कुटुम्ब परिवार से हूं और सूचना प्राप्त करने अथोरिटी है।

।। ताज भोमि ऑनर व्यवहार आधार से।

दिनांक– 11/2/2026

RaipurOF SO 248008

EV561164721IN - INLAND SPEED POST DOCUMENT

263153-248008

RECEIVER:LOK SUCHNA ADHIKARI EC UTTARAKHAND DEHRADUN UTTARAKHAND - 248008

SENDER:OC SHYAMVEER PREMNAGAR UDAM SINGH NAGAR UTTARAKHAND INDIA - 263153

Rudrapur H.O 11-02-2026 13:28:40 Charged Weight(gms) 18 Vol.Wt(gms) NA Rs.55.00 (Cash)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 **(0135)** -2713724 फोन नं0**(0135)**

संख्या 265/XXV–12 (P-14) /2021 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2026

पंजीकृत

सेवा में,

श्री अे/सी श्यामवीर,
पुत्र श्री बसन्त लाल
ग्राम रतनपुरा पो0 प्रेमनगर
तहसील गदरपुर
जिला उधमसिंहनगर।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड रिंग रोड देहरादून के पत्र संख्या 3706/रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050–1/2021 दिनांक 13 फरवरी, 2026 के साथ संलग्न आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2026 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) केद्वारा इस कार्यालय में दिनांक 17.02.20206 को प्राप्त हुआ है। आपके वर्णित पत्र के कम में इस कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैं:–

1– बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना **02 पृष्ठ संलग्न** है।
2– बिन्दु संख्या 02 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान समय में एस0आई0आर0 शुरू नहीं हुआ है।
3– बिन्दु संख्या 03 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान समय में एस0आई0आर0 शुरू नहीं हुआ है।
4– बिन्दु संख्या 04 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5– बिन्दु संख्या 05 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त प्रदान करवायी जा रही सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWA
Date: 23-02-2026
11:20:58

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

*   *   *   *   *   *

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया— [1]* * *

(3) [2]***धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए प्रस्ताव पर करे।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर गा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर**—(1)[5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा:

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1)[6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

---

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंत:स्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
5. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रमाणित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन

EMS SPEED POST
EV960809850IN

भारत सरकार सेवार्थ

SPEED POST-BNPL
DDN-10-208

11/3/26
11/2/26

~~श्री ये /सी श्यामवीर~~
~~पुत्र श्री बसन्त लाल~~
~~ग्राम रतनपुरा पो० प्रेमनगर~~
तहसील गदरपुर
जिला ऊधमसिंहनगर

प्रेषक :
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल
4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
देहरादून, उत्तराखण्ड - 248001
फोन : 0135-2713551, 2713552,
फैक्स : 0135-2713724

(Speed Post)

SPEED POST
EV952145362IN

सेवार्थ,
श्री श्यामवीर पुत्र
श्री बसन्तलाल ग्राम रतनपुरा
पो. प्रेमनगर तहसील गदरपुर
जनपद - ऊधमसिंह नगर
Pin - 263152
Mob - 9997168342

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड
0135-2662253

19